



मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 7964/एनआर-1/ /10

भोपाल, दिनांक 28/07/2010

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण सेवायाम नारदी स्क्रीन-म.प्र.
मिसा - दतिया, सागर, पन्ना, छतारपुर, टीकमगढ़ और दभौत (म.प्र.)

विषय—बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत (ACA) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त राशि के परिशिष्ट में कपिल शर कृषी के कार्यालयीन व्यय हेतु निर्देश।

संदर्भ—म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 6129 दिनांक 17/06/2010 एवं पत्र क्र. 6127 NR-3/Tech/2010 दिनांक भोपाल, 17/06/2010

—0—

बुंदेलखण्ड पैकेज में प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त राशि का व्यय मनरेगा अंतर्गत निर्मित कृषिप्रकार कृषि पर सिंचाई सुविधा हेतु जीएस किबुत प्रप्य प्रदान हेतु किया जाना है।

उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए संबंधित कार्यालयीन व्यय जैसे सर्वे कर कार्य, आवश्यक स्टेशनरी, विभिन्न प्रपत्रों, रजिस्ट्री के रखरखाव एवं अति आवश्यक प्रिंटिंग व्यय एवं डाटा एंटी का कार्य आवश्यकता, औचित्य वित्तव्ययता एवं नियमों के चलन के साथ साथ कार्यालयीन व्यय के अंतर्गत किये जा सकेंगे। इस परिशिष्ट में लिफ्टिंग डियाईस लगाने में पूर्व में प्रति युनिट अनुमान लगभग रु. 20,000 का आंकलित किया गया था। कार्यालयीन व्यय को सम्पादित करने के परिशिष्ट में प्रति युनिट पर उपरोक्त कार्य हेतु रु. 50 तक का व्यय अनुमत्त रहेगा।

इसी के साथ कार्यालयीन व्यय के संबंध में लेखांकन से संबंधी रजिस्टार/सम्पत्ति अभिलेख आदि भी संचालित किये जायेंगे; यह लेखांकन एवं अभिलेख नियमानुसार निरीक्षण/ऑडिट के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा।


(श्री. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

श्री

